

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-४(ई)ा / एपीओ 2014 / अलेसे-ाा / २९१ - २९७

दिनांक: २६-१०-१५

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(गा) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्राक एफ-२(१६)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 19.10.2015 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मी सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब	से कब तक	
1	2	3	4	
सहायक लेखाधिकारी-।				
1	हरदत्त सिंह	11-09-15	to 30-09-15	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़
2	जगदीश नारायण शर्मा	01-09-15	to 21-09-15	सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-४(ई)ा / एपीओ-2014 / अलेसे-ाा / २९१ - २९७

दिनांक: २६-१०-१५

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें। (वेबसाइट से)
2. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. सहायक निदेशक, अलेसे-। मय अतिरिक्त प्रतियों निजी पत्रावली हेतु सहायक लेखाधिकारी-।/ा / क०लेखाकार
4. श्री _____ कार्यालय- _____ - को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
5. व० निजी सहायक, निदेशक
6. निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)